कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**52/26** दिनांक **12.08.2026)**</u>

वन्यजीव तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में STSF मध्यप्रदेश की बड़ी सफलता संगठित गिरोह का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में दिनांक 23 जुलाई 2026 को आगरा (उ.प्र) में तेंदुए की 10 नग खालो के साथ तस्करों को पकड़ा गया था। इस प्रकरण के तार मध्यप्रदेश से जुड़े होने पर STSF मध्यप्रदेश एवं स्थानीय वन अमले द्वारा गठित टीमों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व में 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनकी निशानदेही पर श्योपुर व मुरैना जिले से भारी मात्रा में तेंदुए के अवयव, कंकाल तथा शिकार करने में प्रयुक्त 03 नग विशेष प्रकार के फंदा (Leg Hold Trap) को भी जप्त कर दो वन अपराध प्रकरण दर्ज किए थे। वर्तमान में सभी 8 आरोपी जेल में निरूध्द है।

इसी तारतम्य में प्रकरण में आये साक्ष्यो के आधार पर मुख्य आरोपी की तलाश जारी थी, मुखबिर से प्राप्त ठोस सूचना के आधार मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) एवं केंद्र सरकार के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों (WCCB) नई दिल्ली के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 11-08-2026 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के पास से विधिवत कार्यवाही करते हुये उक्त संगठित गिरोह के मुख्य आरोपी भगवान सिंह उर्फ सलीम निवासी विजवासन दक्षिण पश्चिम दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिल्ली पुलिस से बर्खास्त कर्मचारी है।

उक्त आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी से फारेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी। प्रकरण में विवेचना जारी है एवं इस संगठित गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल